

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/4109 /

जबलपुर, दिनांक 24/07/2021


1. श्री योगेश कुमार नामदेव,
2. श्री सारिक खान,
3. श्री विनोद कुमार रजक,

आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले वाहन चालक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर को वेतनमान रूपये 5200-20200/- + ग्रेड पे रू. 1900/- (7 वे वेतनमान में लेवल 4 पे मेट्रीक्स 19500-62000) में नियमानुसार समय-समय पर देय भत्तों सहित कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से निम्नांकित शर्तों पर अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर की स्थापना पर नियमित वाहन चालक के पद पर नियमित किया जाता है।

1. यह कि, वे शपथ लें कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे।
2. यह कि वे उच्च न्यायालय के सेवाकाल में किसी अन्य कार्यालय को किसी अन्य पद के लिए सीधे आवेदन नहीं करेंगे।
3. यह कि, यदि वे सेवा से पृथक होना चाहेंगे तो उन्हें उसकी सूचना रजिस्ट्री को एक माह पूर्व देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी।
4. यह कि, उनकी सेवायें पूर्णतः अस्थाई हैं तथा वे बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेंगी।
5. यह कि, उनकी नियुक्ति इस उपबंध के साथ की जाती है कि वे किसी सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया स्वास्थ्यता एवं नेत्र परीक्षा का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र का व्यय उन्हें स्वयं उठाना होगा।
6. यह कि, जब भी उन्हें माननीय न्यायाधिपतिगण, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार एवं अधिकारियों द्वारा उच्च न्यायालय या उनके निवास स्थान पर अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने अथवा उनके साथ मुख्यालय से बाहर दौरे पर जाने के निर्देश होंगे उनको तत्परता से पालन करना होगा।
7. यह कि, किसी भी अवकाश या सार्वजनिक अवकाश पर माननीय न्यायाधिपतिगण, रजिस्ट्रार जनरल अथवा अधिकारियों द्वारा कर्तव्य पर उपस्थित होने के निर्देशों का तत्काल पालन करेंगे।
8. यह, उनके प्रभार में सौंपी गयी स्टाफ कार अथवा उच्च न्यायालय के अन्य वाहन को पूर्ण रूप से व्यवस्थित, साफ-सुथरी या सुरक्षित रखने एवं समय-समय पर वाहन की सर्विसिंग कराने तथा आवश्यकता अनुसार डिस्टिल्ड वाटर बदलने आदि की भी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

.....2

9. यह कि, नियमानुसार कर्तव्य पर उपस्थित होने के पूर्व वाहन चालक का लायसेंस प्रस्तुत करें एवं अपने कर्तव्य के समय लायसेंस अपने पास रखें।
10. यह कि उन्हें घोषण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे अपने कर्तव्य के समय किसी नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे।


(सजेंद्र कुमार वाणी)


रजिस्ट्रार जनरल

जबलपुर, दिनांक 24/07/2021

पृष्ठांकन क्रमांक B/4110 /

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन सिटी सेंटर ग्वालियर(म.प्र.),
 2. रजिस्ट्रार (प्रशा.) / रजिस्ट्रार-कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 3. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, ग्वालियर,
 4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 5. डिप्टी कंट्रोलर एकाउंट्स, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 6. असिस्टेंट रजिस्ट्रार स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 7. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 8. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर(न्यायिक), स्था. / लेखा / बजट / पेंशन / प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म. प्र., जबलपुर,
 9. सहायक, स्थापना / अवकाश / सेवा पुस्तिका / वेतन पत्रक / डी.पी.एफ. / प्रोटोकॉल ऑफिसर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 10. श्री योगेश कुमार नामदेव, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले वाहन चालक, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर, ग्वालियर मध्यप्रदेश,
 11. श्री सारिक खान, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले वाहन चालक, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर, ग्वालियर मध्यप्रदेश,
 12. श्री विनोद कुमार रजक, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले वाहन चालक, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर, ग्वालियर मध्यप्रदेश,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(प्रियदर्श शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)